प्र/निगरानी/अशोकनगर/भू०रा०/2017/1642

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मंडल
ग्वालियर म0प्र0

प्र. क्रं.   /2017 निगरानी

श्री किशन पुत्र मंगल सिंह, जाति गुर्जर, आयु 68 वर्ष, व्यवसाय कृषि, निवासी ग्राम पुरा (मथाना) परगना मुंगावली जिला अशोकनगर म0प्र0। ....निगरानीकर्ता

बनाम

म0प्र0 शासन द्वारा राजस्व निरीक्षक/पटवारी ग्राम मथाना ....प्रतिनिगरानीकर्ता

श्री प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा आज दि. 6.6.17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

//निगरानी पत्र आधीन धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959 के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक महोदय मुंगावली द्वारा प्रकरण क्रं. 16अ12/16–17 में पारित आदेश दिनांक 25.05.2017 के विरूद्ध//

माननीय महोदय,

सेवा मे निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है कि –

संक्षिप्त विवरण :–

यह कि ग्राम मथाना (पुरा) तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर म0प्र0 स्थित भूमि सर्वे क्रं. 149, 150, रकवा क्रमशः 1.150 हे., 0.679 हे. निगरानीकर्ता के स्वत्व स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि है यह दोनो सर्वे नं. एकदूसरे से लगे होकर मौके पर ईकजाई प्लाट के रूप मे है जिनके चारो ओर मेंढे हमेशा से बनी हुई है इसी अनुसार उक्त भूमि पर आवेदक काबिज होकर खेती करता कृषि लाभ लेता चला आ रहा है तथा दोनो सर्वे नं. खसरा के मान से नक्शा मे यथावत् हमेशा से बने हुये है निगरानीकर्ता द्वारा उसकी भूमि सर्वे नं.149 रकवा 1.150 हे. एवं सर्वे नं. 150 रकवा 0.679 हे. का पटवारी ग्राम/राजस्व निरीक्षक सीमांकन कराया किन्तु अनावेदकगण द्वारा अन्य लोगो के प्रभाव मे आवेदकगण की भूमि का सीमांकन ना करते हुये अन्य भूमि का सीमांकन किया है और आवेदक की भूमि अन्य लोगो की भूमि में निकाल दी है जिसमें निगरानीकर्ता की भूमि में करीब 3–4 बीघा भूमि नाप दी है जो कि सीमांकन मुस्तकिल मुकामो से विधिवत् नहीं किया गया है व उक्त सीमांकन का अंतिम आदेश दिनांक 25.05.2017 को पारित किया है उक्त सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी निम्न आधारों पर प्रस्तुत है –

Bhiwastav 6/6/17
प्रदीप श्रीवास्तव
एडवोकेट

(1) यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कराया गया सीमांकन विधिविधान के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है।

(2) यह कि प्रतिनिगरानीकर्तागण द्वारा निगरानीकर्ता की भूमि का गलत सीमांकन करने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि निगरानीकर्ता उक्त दोनो सर्वे नंम्बरों पर खसरा के रकवा के मान से मौके पर काबिज है और इसी अनुसार नक्शा में सीमायें बनी हुई है और जितना रकवा खसरा का है उतना ही नक्शा में बना हुआ

.........2..........

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो / निगरानी / अ0 नगर / भूरा / 2017 / 1642

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
15 –01–19	आवेदक अधिवक्ता श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह प्रकरण इस न्यायालय में राजस्व निरीक्षक मुंगावली जिला अशोक नगर के प्रकरण कमांक 16 / अ–12 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 25.5.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक के अधिवक्ता के तर्को पर विचार करने एवं म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.9.2018 के हुये संशेधन अनुसार राजस्व निरीक्षक मुंगावली जिला अशोकनगर द्वारा पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 25.5.17 के विरूद्व सीधे राजस्व मण्डल में निगरानी सुनवाई योग्य नहीं रही है। अपितु संशेधन की संहिता की धारा 54 (क) सहपठित धारा 50 (1) (ग) के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली जिला अशोक नगर के समक्ष सुनवाई योग्य है। तदनुसार प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली जिला अशोक नगर की ओर निराकरण हेतु हस्तांतरित किया जाता है। पक्षकार दिनांक 9.3.19 को अनुविभागीय आधिकारी मुगावली जिला अशोक नगर के समक्ष उपस्थित रहे। सदस्य अनुविभागीय अधिकारी मुगांवली	